## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखिए)

## (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 109 — नागौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मोहन राम चौधरी (नाम) धुंधवालों की ढ़ाणी, पोस्ट—अलाय, तह. व जिला—नागौर (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गएं।

उपर्यक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान भरने के लिए सभ्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :- श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर। तारीख :-- 11 दिसम्बर 2018

> (मुरारी लाल शर्मा) रिटर्निग अधिकारी 109 नागौर विधानसभा उपखण्ड अधिकारी,नागौर

## FORM 21C

See rule (64)

(For use in General Election when Seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of the RAJASTHAN from 109-NAGAUR Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules 1961, I declare that Shri MOHAN RAM CHOUDHARY (Name) DHUNDHAWALON KI DHANI, POST-ALAY, TEH. & DISTRICT - NAGAUR (Addr.) Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place Sh. B.R. Mirdha Govt. College, NAGAUR Date 11-12-2018

(MURARI LAL SHARMA)
Returning Officer
109 Nagaur Constituency
Sub Divisinal Officer, Nagaur